भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 288

21 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऑपरेशन थियेटरों में शल्य-कार्यभार तथा संक्रमण नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश

288. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में प्रतिदिन किए जाने वाले शल्य-प्रक्रियाओं की अधिकतम अनुमेय संख्या निर्धारित करने वाली कोई समान राष्ट्रीय नीति नहीं है तथा क्या इससे संक्रमण नियंत्रण के संबंध में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने अत्यधिक शल्य चिकित्सा कार्यभार के कारण कथित रूप से शल्य चिकित्सा के बाद संक्रमण और रोगियों की मृत्यु की रिपोर्टों की जांच की है तथा क्या मौजूदा पद्धतियां विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित शल्य चिकित्सा दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं;

(ग) क्या सरकार का लगातार होने वाली शल्य-प्रक्रियाओं के बीच अनिवार्य न्यूनतम अंतराल निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) क्या सरकार का अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और शल्य-प्रक्रियाओं के प्रकार के आधार पर ओटी क्षमता की घोषणा को अनिवार्य करने तथा इसके साथ ही समय-समय पर अनुपालन लेखापरीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य से संबंधित विषय हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों में रोगी सुरक्षा तथा संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण (एचएआई) संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों में संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आवधिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा और रोगी सुरक्षा के लिए

विभिन्न दिशानिर्देश और मानक भी जारी किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), कायाकल्प दिशानिर्देश और भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) भी शामिल हैं।

आईपीएचएस 2022 ढांचे के तहत, इस मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशन थिएटर परिसर के परिचालन दिशानिर्देशों में, जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में ओटी परिसरों की योजना, डिजाइन, संचालन, संक्रमण रोकथाम और गुणवत्ता आश्वासन के लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। विस्तृत दिशानिर्देश निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/Guidelines-on-OT.pdf

अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम बनाने में सहायता करने हेतु, आईसीएमआर ने वर्ष 2016 में अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश जारी किए थे जिन्हें निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता हैं:

https://www.icmr.gov.in/icmrobject/custom_data/pdf/resource-guidelines/Hospital_Infection_control_guidelines.pdf

स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमणों सहित अवांछित घटनों की निगरानी और प्रबंधन, संबंधित स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा लागू नियमों, दिशानिर्देशों और संस्थागत तंत्रों के अनुसार किया जाता है।

*****